

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक-02/8/19

संख्या-1/श्रम विंस्था० (1) 10-27/2018 श्र०सं० 162 /श्री कौशल किशोर रश्मि, बिंश्र०से०, श्रम अधीक्षक, सुपौल के अभ्यावेदन, दिनांक 01.3.19 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम-74 (ख) (i) तथा वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 6190 दिनांक 27.4.79 में निहित प्रावधान के तहत उन्हें दिनांक 01.6.2019 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
०२/८/१९
(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम विंस्था० (1) 10-27/2018 श्र०सं० 162 / पटना, दिनांक-02/8/19

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/बिहार श्रम सेवा (सामान्य) के सभी पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

०२/८/१९
सरकार के उप सचिव।